CIN-U14105RJ2003G0I 018093

एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लिमिटेड
FCI Aravali Gypsum and Minerals India Ltd.

पंजीकृत कार्यालय :
मांगूसिंह राजवी मार्ग, (पावटा 'बी' रोड)
जोधपुर (राजस्थान)
फोन : 0291-2544392 फैक्स-2544523

भारत सरकार का उपक्रम
(A Govt. of India Undertaking)
Mini Ratna - II Company

FCI Aravali Gypsum and Minerals India Ltd.

Regd. Office :
Mangu Singh Rajvi Marg (Paota 'B' Road)
JODHPUR (Rajasthan)
Tel : 0291-2544392, Fax :0291-2544523
E-mail : fagmil-rj@nic.in
fagmil1@rediffmail.com
Website : www.fagmil.nic.in

Ref. No.
फेगमिल / परिवहन / मोहनगढ / 2020 / 656

Date : दिनांक 08.09.2020

मैसर्स वी0एस0सोढ़ा कन्स्ट्रक्शन प्रा0 लिमिटेड
वी0पी0ओ0 हमीरा
जिला जैसलमेर–345033
राजस्थान

विषयः– **मोहनगढ़ खान से थैयात हमीरा रेलवे साइडिंग तक आरओएम जिप्सम के परिवहन का कार्य आवंटित करने बाबत्।**

महोदय जी,

आपके पत्र कमांक VSS/FCI/C01 दिनांक 08.09.2020 के सन्दर्भ में लेख है कि आपको जानकर अत्यन्त प्रसन्नता होगी प्रबन्धन ने आप द्वारा प्रस्तुत कोटेशन को स्वीकार कर लिया है तथा आपको मोहनगढ़ से थेयात हमीरा रेलवे साइडिंग तक आरओएम जिप्सम के परिवहन का कार्य आवंटित किया जाता है। ठेके की नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेगीः–

1. उक्त कार्य के अर्न्तगत आपको चार ट्रक / ट्रेलर (क्षमता 32.5 मै0टन+5%Tolerance) क्षेत्र प्रबन्धक के निर्देशानुसार मोहनगढ़ खान में उपलब्ध करवाए जाने है।
2. उक्त कार्य के लिए निर्धारित मात्रा 16,000 मै0टन है जो कि आवश्यकतानुसार घटाई / बढ़ाई जा सकती है।
3. ठेके की दर रू 144 / – प्रति मै0टन+GST under RCM रहेगी।
4. ठेके की कुल अवधि दिनांक 08.09.2020 से 07.11.2020 तक रहेंगी एवं मांग / आपूर्ति के आवश्यकतानुसार ठेके की अवधि को घटाया एवं बढ़ाया जा सकता है।
5. उक्त ठेके के तहत् कुल कार्यादेश की राशि रू 23,04,000 / – (अक्षरे रूपये तेईस लाख चार हजार मात्र) बनती है, जिस पर कुल प्रतिभूति राशि रू 2,24,500 / – (अक्षरे रूपये दो लाख चौबीस हजार पॉच सौ मात्र) बनती है। उक्त प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंक गारण्टी कार्यादेश प्राप्त होते ही तुरन्त जमा करवाने का श्रम करावें।
6. उक्त कार्य के तहत् किसी प्रकार की दुर्घटना होने अथवा थर्ड पार्टी क्लेम आने पर फेगमिल उत्तरदायी नहीं होगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

CIN-U14105RJ2003G0I 018093

एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लिमिटेड
FCI Aravali Gypsum and Minerals India Ltd.

पंजीकृत कार्यालय :
मांगूसिंह राजवी मार्ग, (पावटा 'बी' रोड)
जोधपुर (राजस्थान)
फोन : 0291-2544392 फैक्स-2544523

भारत सरकार का उपक्रम
(A Govt. of India Undertaking)
Mini Ratna - II Company

FCI Aravali Gypsum and Minerals India Ltd.

Regd. Office :
Mangu Singh Rajvi Marg (Paota 'B' Road)
JODHPUR (Rajasthan)
Tel : 0291-2544392, Fax :0291-2544523
E-mail : fagmil-rj@nic.in
fagmil1@rediffmail.com
Website : www.fagmil.nic.in

Ref. No.

Date :..............................

7. क्षेत्र प्रबन्धक के निर्देशो के अनुसार कार्य नहीं करने पर अथवा कार्य करने में आनाकानी करने पर उक्त ठेका बिना कोई कारण बताए बीच में ही समाप्त किया जा सकेगा जिसके लिए किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
8. गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के मामले में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत सरकार को जीएसटी का भुगतान फेगमिल द्वारा किया जाएगा।
9. ठेकेदार उचित बिल प्रारूप में जीएसटी नम्बर का विवरण देते हुए पाक्षिक आधार पर बिलों को भुगतान हेतु प्रस्तुत करेगें। ठेकेदार को अपने चालान में जीएसटी का दावा करने की आवश्यकता नहीं है।
10. ट्रांसिट पीरियड की अवधि के दौरान हुई कोई भी क्षति ट्रांस्पोर्टर के द्वारा वहन की जाएगी।
11. प्रत्येक ट्रक/ट्रेलर को मोहनगढ़ खान में स्थित धर्मकांटे पर तुलवाई करवानी होगी एवं रवन्ना प्राप्त कर ही खान से रवाना होगा।
12. ठेकेदार जब रेलवे साइडिंग पर आरओएम जिप्सम खाली करेगा तो खाली किए हुए जिप्सम की पावती प्राप्त करेगा।
13. समस्त ट्रक/ट्रेलर जो उक्त कार्य में लिए जायेगें उनका आरटीओ से फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त किया होना चाहिए तथा लागू पंजीकरण प्रमाणपत्र साथ होना चाहिए।
14. उक्त कार्य में लगे समस्त ड्राइवर के पास भारी वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेन्स होना चाहिए।
15. खान में लागू होने वाल समस्त नियमों, अधिनियमों एव उपनियमों की पालना सुनिश्चित करेगें।
16. खान परिसर में प्रथम बार ट्रक/ट्रेलर भरने जाने पर वाहन की आरसी की प्रति तथा ड्राइवर लाइसेंस की प्रति फेगमिल के मोहनगढ़ खान कार्यालय में जमा करवानी होगी।
17. उक्त कार्य के लिए रू 500/- का नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर लेकर फेगमिल के जोधपुर कार्यालय में दिनांक 15.09.2020 तक अनुबंध करने हेतु उपस्थित होवें।
18. अनुबंध जोधपुर में किया हुआ माना जाएगा और अनुबंध के संबंध में कार्रवाई के सभी कारणों (Cause of Action) को जोधपुर की अदालतों के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ माना जाएगा।

CIN-U14105RJ2003G0I 018093

एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लिमिटेड
FCI Aravali Gypsum and Minerals India Ltd.

पंजीकृत कार्यालय :
मांगूसिंह राजवी मार्ग, (पावटा 'बी' रोड)
जोधपुर (राजस्थान)
फोन : 0291-2544392 फैक्स-2544523

भारत सरकार का उपक्रम
(A Govt. of India Undertaking)
Mini Ratna - II Company

FCI Aravali Gypsum
and Minerals India Ltd.

Regd. Office :
Mangu Singh Rajvi Marg (Paota 'B' Road)
JODHPUR (Rajasthan)
Tel : 0291-2544392, Fax :0291-2544523
E-mail : fagmil-rj@nic.in
fagmil1@rediffmail.com
Website : www.fagmil.nic.in

Ref. No.

Date :

19. Settlement of Disputes

1. Except as otherwise specifically provided in the Contract all disputes concerning questions of fact arising under the Contract shall be considered by the Company subject to a written appeal by contractor to the Company.

   Any disputes or difference including those considered as such by only of the parties arising out of or in connection with the contract shall be to be extent possible settled amicably between the parties.

   If, after 30 days from the commencement of such informal negotiations, the company and contractor are unable to resolve amicably the dispute, either party may require that the dispute be referred for resolution to be arbitration as described below.

2. **Arbitration**

   Expect where otherwise provided in contract, all questions and disputes relating to contract, designs, drawings, specifications, payments, instructions, orders or any other matter concerning work or the execution or failure to execute the same, whether arising during the progress of work or after completion or abandonment thereof or otherwise which cannot be settled amicably, shall be referred to arbitration. The arbitration shall be conducted under the rules and regulations of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 and any statutory amendments thereto and shall take place in Jodhpur in accordance with Indian Law. The arbitration award given by the Arbitrator shall be final and binding on both parties.

20. कार्यादेश की दूसरी प्रति पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर कर इस कार्यालय को प्रेषित करावें।

कृतेः एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लि0

8/9/2010

(अरविन्द कुमार जैन)
वरि0 प्रबन्धक (खनन)

प्रतिलिपिः— उप महाप्रबन्धक (खनन), प्रबन्धक (कार्मिक), प्रबन्धक (वित्त), सहा0 प्रबन्धक (विपणन), सहा0 प्रबन्धक (सतर्कता), क्षेत्र प्रबन्धक, हमीरा